रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241262 CG-DL-E-21122022-241262

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5683] No. 5683] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5919(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4498(अ) तारीख 19-09-2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 23-09-2022 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा मेघालय राज्य में गुवाहाटी - शिलांग - सिलचर - पानीसागर प्रकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है:

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

8451 GI/2022 (1)

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि मे उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची									
सी.डी. ब्लोक : थडलाजस्ट्कन		जिलाः वेस्ट्ट जयंजतया जहल्स	राज्य : मेघालया						
क्रम		खसरा सं.	क्षेत्रफल						
सं.	गांव का नाम		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर				
1	2	3	4	5	6				
1	थडमुसेम	सी 96-001	00	61	34				
		नोंगख्रोह-थदमुसेम पी डब्ल्यू डी रोड	00	01	90				
		सी 96-002	01	12	26				
		मावलसनइ-नर्णतयांग पी डब्ल्यू डी रोड	00	01	29				
		सी 96-001	02	07	63				
		नाला	00	07	04				
		सी 96-001	02	03	35				
		नाला	00	07	03				
		सी 96-005	00	18	10				

[फा. सं. एल -14014/191/2022-जीपी-II (ई-44409)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

S.O. 5919(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4498(E) dated the 19-09-2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 23-09-2022, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati - Shillong - Silchar - Panisagar Section of North - East Natural Gas Pipeline in the state of Meghalaya by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE									
C.D. Block : Thadlaskein		District:- West Jaintia Hills	State :- Meghalaya						
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area						
			Hectare	Are	Sq.mtr.				
1	2	3	4	5	6				
1	Thadmusem	C96-001	00	61	34				
		Nongkhroh-Thadmusem PWD Road	00	01	90				
		C96-002	01	12	26				
		Mawlasnai-Nartiang PWD Road	00	01	29				
		C96-001	02	07	63				
		Nala	00	07	04				
		C96-001	02	03	35				
		Nala	00	07	03				
		C96-005	00	18	10				

[F. No. . L-14014/191/2022-GP-II) (E-44409)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.